न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **127 / 2023** अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मठार पुत्र अली 2. ईशाक पुत्र अली 3. गफूर पुत्र अली जाति मुसलमान, निवासी कायम की वस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अली पुत्र गाजी के कायम मुकाम 1.1 दोस्तअली पुत्र अली 1.2 रूपो पुत्री अली 1.3 सतबाई पुत्री अली 2. आसी पत्नी जानाखान 3. दिनाखान पुत्र जानाखान 4. मोमदखान पुत्र जानाखान 5. सुभानखान पुत्र जानाखान जाति मुसलमान, निवासी कायम की वस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 25.08.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा माधा का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347 रकबा 37.4172 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता/पति जानाखान पुत्र गाजीखान ने संयुक्त रूप से क्रय कर मौके पर बहिस्सा बराबर काबिज हुए। उस समय राजस्व रेकर्ड में खातेदारान के हिस्से पृथक नहीं किये गये, केवल समस्त खातेदारान् को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी की खाता डायरी हल्का पटवारी द्वारा जारी की गई जिसमें प्रत्येक वादी का खातेदारी हिस्सा 1/5–1/5 अंकित किया गया। उक्त हिस्सानुसार ही पक्षकारान् अपने अपने हिस्से में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय खातेदारान् के खातेदारी हिस्से खोले गये, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खातेदारी हिस्से बैचान दस्तावेज व मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत अंकित कर दिये गये। जबकि वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/5–1/5 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/5 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के परिवार का वक्त क्रय से लगातार निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में जब वादीगण द्वारा हल्का पटवारी से नकले प्राप्त की तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि राजस्व रेकर्ड मे पक्षकारान के हिस्से गलत दर्ज हो गये है, जिसकी सही खातेदारी घोषणा माननीय न्यायालय के आदेश से की जा सकेगी। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत खातेदारी हिस्सा के स्थान पर सही खातेदारी घोषणा करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी संख्या 1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादी का 1/5–1/5 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम का संयुक्त रूप से 1/5 खातेदारी हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/5 खातेदारी हिस्सा की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत खातेदारी हिस्से दर्ज होने से सही खातेदारी हिस्सों की घोषणा का निवेदन किया गया है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादी संख्या 1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है। बैचान पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के पिता/पति द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गई है, जिसमें प्रत्येक खातेदार का बहक बराबर हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हिस्से गलत दर्ज होने से सही खातेदारी हिस्सों की घोषणा की जाकर अमलदरामद किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसके वादीगण अधिकारी है। दस्तावेजात में वादपत्र के संलग्न सहकारी किसान कार्ड डायरी में भी हल्का पटवारी द्वारा प्रत्येक वादी की विवादित आराजी में 1/5 खातेदारी हिस्सा दर्ज बताया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण विवादित आराजी के खसरा नम्बर 347 रकबा 37.4172 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपनी सही खातेदारी घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा माधा का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347 रकबा 37.4172 हैक्टेयर भूमि में प्रत्येक वादी का 1/5 – 1/5 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम का संयुक्त रूप से 1/5 खातेदारी हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/5 खातेदारी हिस्सा होने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री पर्चा